न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झनुं (राज0)

मुकदमा	किस्म मुकदमा	रुजु दिनांक	निर्णय दिनांक
147 / 2019	धारा 91 एल.आर.एक्ट	13.09.2019	04.09.2020

उनवान सरकार बनाम महेश, ओमप्रकाश पुत्रान गुलाब जाति अहीर निवासी सहड तहसील बुहाना जिला झुन्झुनु (राज0)

-: निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त मे इस प्रकार है। पटवारी हल्का लाम्बी अहीर ने सम्वत 2076 मे इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम सहड की राजकीय भूमि ख0 नं0 624 किस्म गैर मु0 जोहड कुल रकबा 1.01 है0 मे से 0.06 है0 पर अतिक्रमी महेश, ओमप्रकाश पुत्रान गुलाब जाति अहीर निवासी सहड ने अवैध रूप से पक्की दीवार बनाकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी द्वारा उपस्थित होकर नोटिस जबाब पेश किया गया, जो शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया । अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नही है। ना ही नियमो के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि मे पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जेर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 12.60/- का अतिक्रमण शुदा भूमि लगान 2.00 की 50 गुणा जुर्माना राशि 100/- बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0 अ0 निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2020 को खुले न्यायालय सुनाया मे सुनाया गया।

(मांगेराम पूनिया)
तहसीलदार बुहाना

रा.के. सं. 4 वर्ष 2020-21 के पृ.सं. 76
क्र. 100/- की मांग कायम की गई।
तहसील राजस्व लेखाकार
तह. सील बुहाना